(S.D.O.) सिवाना

04.04.22	विप्रार्थीगण के अधिवक्ता के निवेदन पर पत्रावली आज तलब की गई। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1, 3 ता 06 की ओर से वकील श्री खीमाराम आक्षल उपस्थित विप्रार्थीगण वकील द्वारा [illegible] जवाब पेश किया गया। नकल प्रार्थीगण वकील को दी गई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। विप्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा पादरड़ी कलां

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:24:26 IST
Reason: SelfAttested

पटवार मण्डल कुरीप के खेत खसरा संख्या 545
रकबा 25 बीघा भूमि के मध्य दिशा भूमि में कथन मार्ग
चल रहा है जिनके दोनो तरफ सैकड़ों पुरानी माल्टे है,
इन माल्टे व पेड़ो के बीचो-बीच वर्तमान में कथन मार्ग चल
रहा है। प्रार्थीगण के खसरा संख्या 545 व विप्रार्थीगण
संख्या 3 व 6 के खसरा संख्या 1551 के बीचो बीच
खसरा 569 किस्म गै मुमकिन रास्ता चल रहा है उक्त
रास्ता मार्ग पर ही विप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा मनरेगा
के तहत ग्रेवल सड़क का निर्माण किया जा रहा है जो
आमजन की सुविधा हेतु सड़क का होना आवश्यक है
लेकिन विप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा मनरेगा के तहत
किया जा रहा ग्रेवल सड़क के निर्माण व मुरड़ डालने
से उक्त सार्वजनिक सड़क के दोनो तरफ सौ वर्ष पुरानी
माल्टे व सौ वर्ष से अधिक पुराने हरे पेड़ खड़े है उनके
साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जायेगी मात्र सरकारी
कार्य में बाधा, गुमराह कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर स्थगन
आदेश जारी करवा दिया, जो कि विधि विरुद्ध है
अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।
प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत
जवाब का खण्डन करते हुये निवेदन किया गया कि
विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या
545 के अन्दर आकर अतिक्रमण कर प्रार्थीगण के खेत
में स्थित सौ वर्ष पुराने माल्टे व सौ वर्ष पुराने पेड़ो को
काटकर जबरन सड़क का निर्माण कार्य किये जाने हेतु प्रयासरत
है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण
के विरुद्ध दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।
उभय दोनो पक्षो के [illegible] सुना। पत्रावली पर
उपलब्ध दस्तावेज, विप्रार्थी [illegible] प्रार्थना पत्र
पर गहनता से अध्ययन [illegible] उक्त अध्ययन
पर ज्ञात होता है कि विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मनरेगा
के अन्तर्गत ग्राम पादरड़ी कला पटवार मण्डल कुरीप के
खसरा सं. 569 पर ग्रेवल डालकर सड़क का निर्माण
किया जा रहा है उक्त खसरे की किस्म गै. मु. रास्ता
है जो प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 545 व विप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusum Lata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:34:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	संख्या 3 व 16 के खेत खसरा संख्या 151 के मध्य स्थित है यदि विप्रार्थी संख्या 1 के मार्ग 569 किस्म गैर मु. रास्ते पर रोड बनाकर सड़क का निर्माण किया जाता है तो खसरा संख्या 545 व 150 के मालिकों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
	अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. अस्वीकार किया जाकर दिनांक 01.05.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है। पत्रावली के सल सुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।
	उपखण्ड अधिकारी (बाड़मेर) सिवाना
	सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:24:26 IST
Reason: SelfAttested